Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

210-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025 (AGRAHAYANA 27, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 18th December, 2025

No. 40-HLA of 2025/81/29010.— The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 40- HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 13th November, 2025.

Amendment of section 8 of Punjab Act 41 of 1963.

2. In section 8 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963,-

(I) in sub-section (1),-

(i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that where the permission for an industrial purpose in the conforming zone of the plan published under sub-section (7) of section 5 is granted through self-certification, the applicant, without following the procedure under sub-section (1), shall have to furnish such information online, as may be specified by the Director and shall pay the requisite fee and charges.".

(II) in sub-section (2),-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the permission for conforming zone is granted through self-certification, no further enquiry by the Director shall be required.".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 5 of 2025), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India has accorded highest priority to Ease of Doing Business (EoDB) reforms through the Compliance Reduction and Deregulation Docket, which aims to rationalize regulatory frameworks and reduce procedural delays across sectors. As part of this initiative, twenty-three priority reform areas have been identified, out of which eight pertain to Town and Country Planning Department, Haryana. This includes simplification, digitization and automation of processes related to grant of Change of Land Use (CLU) permissions to enhance transparency and investor confidence.

In alignment with these national objectives, it is proposed to introduce permission under self-certification through an online system for conforming land use zones in notified Development Plans. This system will enable eligible applicants to obtain permission through an online self-certification mechanism, based on information, documents and undertakings submitted digitally and verified through automated processes. This will ensure transparency, significantly reduce manual intervention and enhance ease of doing business in the State.

To operationalize this reform, it is imperative to amend the provisions of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 to provide statutory backing.

In order to make above above-referred changes, amendment in Section 8 (1 & 2) of Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 is required.

Hence this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 18th December, 2025.

RAJIV PRASHAD
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 40 एच.एल. ए.

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह 13 नवम्बर 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 8 का संशोधन।

2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 में,–

(I) उप–धारा (1) में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जहां धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन प्रकाशित योजना के अनुरूप अंचल में किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए अनुमति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो आवेदक को, उप–धारा (1) के अधीन प्रक्रिया को अपनाए बिना, ऐसी सूचना आनॅलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा अपेक्षित फीस तथा प्रभारों का भी भुगतान करेगा।"।

(II) उप–धारा (2) में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु जहां अनुरूप अंचल के लिए अनुज्ञप्ति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो निदेशक द्वारा आगे कोई जांच करनी अपेक्षित नहीं होगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार द्वारा "इज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)" सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नियामक ढांचे का सरलीकरण एवं प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना है। इस पहल के अंतर्गत 23 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 8 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा से संबंधित हैं। इन सुधारों में भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण, डिजिटलीकरण एवं संचालन शामिल है ताकि पारदर्शिता बढ़े और निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ हो।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिसूचित विकास योजनाओं में अनुरूप भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन स्व–प्रमाणन (Self – Certification) प्रणाली के अंतर्गत अनुमति दी जाए। यह प्रणाली पात्र आवेदकों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज एवं घोषणा–पत्रों के आधार पर स्वचालित सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति प्रदान करेगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि होगी।

इस सुधार को क्रियान्वित करने हेतु हरियाणा अनुसूचित सड़कें एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में आवश्यक संशोधन करना आवश्यक है ताकि इसे विधिक आधार प्रदान किया जा सके। तदनुसार, संशोधन हेतु एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परिवर्तनों को करने के लिए, हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निषेध अधिनियम, 1963 की धारा 8 (1 और 2) में संशोधन आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 18 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12295—H.V.S.—H.G.P., Pkl.